न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 55 / 2024

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. तेजमल पुत्र भंवरलाल, जाति जैन निवासी 41 कल्याण पुरा मार्ग नं 2 बाड़मेर
2. श्रीमती मीनाक्षी देवी पत्नी तेजमल निवासी 41 कल्याणपुरा मार्ग नं. 02 बाड़मेर
3. पटेल अश्विनी भाई जयंतीलाल निवासी LAVARIYAVAS] VARVADA DISTRICT MEHSANA 384215 GUJRAT
4. फर्म–मैसर्स रजवाडी डेयरी प्रोडेक्ट F/1 Parth Agro, At-Kamli TA- Unjha Ha Mehsana 384170 Gujarat

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1से4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 10.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर** पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

निरीक्षण दिनांक **22.05.2024** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा 500 –500 ML** वाले 7 गते कार्टून में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **घी ब्राण्ड गौधारा (500 ग्राम पैकिंग)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2575** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा (500 ग्राम पैकिंग)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड गौधारा (500 ग्राम पैकिंग)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **13.06.2024** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही [illegible] प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक **(Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for foreign fat** का [illegible] मानक स्तर **should be absent** की तुलना में **Foreign fat present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested

अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 50,000/- एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 पर संयुक्त रूप से 1,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्रसिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:45:03 IST
Reason: SelfAttested